भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3442

दिनांक 13 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

किराए पर आंगनवाड़ी भवन

3442. श्री एस॰ वेंकटेशनः

कुमारी चन्द्राणी मुर्मुः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि देश में आंगनवाड़ी केंद्रों के पास अपनी इमारतें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ओडिशा सहित देश भर में चल रही आंगनवाड़ियों और उन आंगनवाड़ियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिनके अपने भवन हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देश में आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण देने और सहायता प्रदान करने के लिए की गई पहल का तमिलनाडु में जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों के वेतन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : देश में चल रहे 1380796 क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्रों में से 605474 आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने भवन है जिसमें ओडिशा के 44671 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली (आरआरएस) में उपलब्ध डाटा के अनुसार ओडिशा सहित देश में क्रियाशील आंगनवाड़ियों तथा अपने भवनों वाली आंगनवाड़ियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) : भारत सरकार प्रतिपूर्ति के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम (मरनेगा) के अभिसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में नए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने पूरे देश में 58670 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

(घ) : आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण का प्रावधान मुख्य रूप से बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं के संस्तुत आहार भत्ता (आरडीए) और औसत दैनिक ग्रहण (एडीआई) के बीच अंतर को पाटने के लिए है। पूरक पोषण के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले भोजन का प्रकार तथा तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागत मानदंड नीचे दिए गए हैं।

क्र.सं.	श्रेणी	भोजन का प्रकार	प्रति दिन प्रति लाभार्थी दरें (रुपये में)
1	बच्चे (0-6 माह)	जीवन के पहले 6 माह तक केवल स्तनपान	-
2	बच्चे (6-36 माह)	500 कैलोरी एनर्जी तथा 12-15 ग्राम प्रोटीन के खाद्य सम्पूरण के साथ इस रूप में घर ले जाने वाला राशन जिसे बच्चे चूस सकते है।	8.00
3	गंभीर रूप से	800 कौलोरी ऊर्जा और 20-25 ग्राम प्रोटीन के खाद्य संपूरण के साथ	12.00

	कुपोषित बच्चे (6-36 माह)	उपर्युक्त प्रकार का खाद्य	
4	बच्चे (3-6 वर्ष)	500 कैलोरी ऊर्जा और 12-15 ग्राम प्रोटीन के खाद्य संपूरण के साथ सबेरे का नाश्ता और गरम पका भोजन	8.00
5	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (3-6 वर्ष)	सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त भोजन और/या ऊर्जा सघन भोजन के रूप में अतिरिक्त 300 कैलोरी ऊर्जा और 8-10 ग्राम प्रोटीन	12.00
6	गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं	600 कैलोरी ऊर्जा और 18-20 ग्राम प्रोटीन के खाद्य संपूरण के साथ घर ले जाने वाला राशन	9.50

तमिलनाडु में प्रदान किए गए पूरक पोषण का जिला-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	श्रेणी	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	बृहस्पतिवार	शुक्रवार	शनिवार	रविवार
1	6 माह से 1 साल के बच्चे	पूरक तरल भोजन (सीडब्ल्यूएफ)						शून्य
2	1 साल से 2 साल के बच्चे	पूरक तरल भोजन (सीडब्लयूएफ) तथा बुधवार का एक अंडा						शून्य
3	2 से 5 साल के बच्चे	सीडब्लयूएफ, टमाटर, चावल और अंडा	सीडब्ल्यूएफ, मिक्स चावल तथा काला चना या हरा चना	सीडब्लयूएफ, सब्जी पुलाव और अंडा	सीडब्लयूएफ, लेमन राइस और अंडा	सीडब्लयूएफ, दाल चावल तथा उबले आलु,	सीडब्ल्यूएफ तथा मिक्स राइस	शुष्क अनुपात (चावल और दाल)
4	गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं	पूरक तरल भोजन (सीडब्लयूएफ)						शून्य
5	11-14 वर्ष की स्कूल बाह्य किशोरियां	पूरक तरल भोजन (सीडब्लयूएफ)						शून्य

आंगनवाड़ी सेवा केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कर्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार दिशा-निर्देश तैयार करती हैं, निधियां जारी करती हैं और स्कीम के कार्यान्यवन की निगरानी करती है।

(ड) : जी नहीं। इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुलग्नक

'किराए पर आंगनवाड़ी भवन' से संबंधित श्री एस. वेंकटेशन और कुमारी चंद्राणी मुर्मु द्वारा 13.03.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3442 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/ सं.रा.क्षे.	क्रियाशील एडब्ल्यूसी	अपने सरकारी भवनों वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	55607	21126
2	तेलंगाना	35634	10681
3	अरुणाचल प्रदेश	6225	5801
4	असम	62153	39889
5	बिहार	106953	26097
6	छत्तीसगढ़	51414	37729
7	गोवा	1262	210
8	गुजरात	53029	42854
9	हरियाणा	25962	8998
10	हिमाचल प्रदेश	18925	2059
11	जम्मू और कश्मीर	28460	812
12	झारखंड	38432	22574
13	कर्नाटक	65911	44312
14	केरल	33244	22770
15	मध्य प्रदेश	97135	33278
16	महाराष्ट्र	110219	57760
17	मणिपुर	11510	2859
18	मेघालय	5896	3014
19	मिजोरम	2244	2215
20	नागालैंड	3980	3085
21	ओडिशा	72587	44671
22	पंजाब	27295	2098
23	राजस्थान	61974	29830
24	सिक्किम	1308	965
25	तमिलनाडु	54439	43064
26	त्रिपुरा	9911	9273
27	उत्तर प्रदेश	187997	28590
28	उत्तराखंड	20067	3018
29	पश्चिम बंगाल	116446	54741
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	720	129
31	चंडीगढ़	450	170
32	दिल्ली	10897	37
33	दादरा और नागर हवेली	302	171
34	दमन और दीव	107	82
35	लद्दाख	1139	141
36	लक्षद्वीप	107	27
37	पुद्दुचेरी	855	347
	कुल	**1380796**	**605474**